सिंचाई प्रकरण सं0 02/2015(RCMS : 2015/00088) नसीब कौर पत्नि स्व. चिमन सिंह जाति मजहबी सिख (हरिजन) आयु करीब 70 साल निवासी 13 ई ई ए, वर्तमान निवासी 4 ईई ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। पैटीशनर की ओर से श्री सुभाष सहगल उपस्थित है। पैटीशनर के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई है कि उनके द्वारा यह पैटीशन अन्तर्गत धारा 24 राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम अन्तर्गत नियम 4(2) में पैटीशनर द्वारा चक 13 ई ई ए के मुरब्बा नम्बर 27 के कुतरी खाल को निरस्त कर पत्थर लाईन पर स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जारी नोटिस दिनांक 28.08.2015 के विरूद्ध पेश की थी एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर का खाला परिवर्तन सम्बन्धी नोटिस व कार्यवाही को निरस्त करवाने की प्रार्थना हेतु प्रस्तुत की थी। **अब इस प्रकरण में पैटीशनर किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.10.2015 को एक पैटीशन अन्तर्गत धारा 24 राजस्थान जल सिंचन एवं निकाय अधिनियम नोटिस अन्तर्गत नियम 4(2) दिनांक 28.08.2015 में पैटीशनर श्रीमती नसीब कौर पत्नि स्व. चिमन सिंह के अधिवक्ता श्री सुभाष सहगल ने अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 28.08.2015 पर कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रस्तुत की थी और **अब पैटीशनर के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अब पैटीशनर के अधिवक्ता श्री सुभाष सहगल इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए उनके द्वारा **प्रस्तुत उक्त पेटीशन दिनांक 23.10.2015 अन्तर्गत धारा 24 राजस्थान जल सिंचन एवं निकाय अधिनियम 1954 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर